बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा (वि॰सं॰ 01/2015)

विज्ञापन संख्या 01/2015, योजना एवम् विकास विभाग, बिहार के अधीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के कुल 13 (तेरह) पदों पर वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे–4800/– रू॰ (अपुनरीक्षित) में नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इन 13 (तेरह) पदों में अनारक्षित (01) को 08 (आठ), अनुसूचित जाति (02) को 01 (एक), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) को 02 (दो), पिछड़ा वर्ग (05) को 02 (दो) (एक पद बैकलॉग) पद अनुमान्य हैं। इन अनुमान्य पदों में से सुयोग्य विकलांग उम्मीदवारा को भी नियमानुसार आरक्षण देय है।

2. **__शैक्षिक योग्यता__**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

3. **__उम्र सीमा__**: दिनांक 01.08.2015 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक – 212 दिनांक 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 01.08.2010 से 01.08.2015 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए भी योग्य पात्र होंगे।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन॰सी॰सी॰ में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन॰सी॰सी॰ से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन॰सी॰सी॰ में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।

(vi) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगो बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vii) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकत हैं। उक्त पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त–समाप्ति के बाद सनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) की ऊपरी उम्र सीमा उक्त पद के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

(ix) सैन्य सेवा से विमुक्त उम्मीदवार सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

4. **__आरक्षण__**:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारो को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं॰ 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास के अंचल क, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी, उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

5. **__शुल्क__**:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 75/– (पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 125/– (एक सौ पचीस) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों सहित सभी राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 300/– (तीन सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 350/– (तीन सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

6. __अन्य__: **अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।**

7. **(i) चयन का आधार** – इस सेवा की मूल कोटि में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये निर्धारित लिखित प्रारम्भिक परीक्षा एवं आयोग द्वारा निर्धारित लिखित मुख्य परीक्षा एवं अंतर्वीक्षा में भाग लेना होगा।

(ii) परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम – परीक्षाओं के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं न्यूनतम अहर्तांक का निर्धारण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगा, परन्तु मुख्य लिखित परीक्षा जो स्नातक स्तर का है, में एक विषय अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित अनिवार्य होगा।

8. **__प्रारम्भिक परीक्षा__** –

(i) प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवम् 150 अंकों की एकल विषय, सामान्य अध्ययन, में 2 (दो) घंटों की होगी। प्रश्नवार बहुविकल्पोय उत्तरों में स किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

(iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9. उक्त प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से, पुनः, ससमय, आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे। **प्रारम्भिक परीक्षा एवम् मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।**

10. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. अंतिम तिथिः

(i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि सोमवार, दिनांक 02.03.2015 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टिः

(i) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नोले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) **आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–**

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

रि	न	ग	धा		

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा – ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगेः–**

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**
   उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों का भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) आवेदन की कंडिका **3**(iii) में जो लागू नहीं है उसे काट दिया जाए, यथा; भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ''भूतपूर्व पूर्णकालिक एन॰सो॰सी॰ कैडेट/भूतपूर्व पूर्णकालिक अनुदेशक'' को काट दें।

(v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(vi) **क्रमांक 8 – ''शैक्षक योग्यता'' के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक' एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(viii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

2. फोटोग्राफः

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

3. लिफाफा :

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) **विहित आवेदन के साथ किसी प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न नहीं करें।**

(iii) **16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।